भारत भारत भारत भारत भारत
पाँच रुपये पाँच रुपये पाँच रुपये पाँच रुपये
विलोपित विलोपित

R 4399- II/16

(57)

आज दि. 30.12.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल

30/12/16

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

प्रकरण कमांक –दो/2016 निगरानी

1– चन्द्रभान पुत्र राजाभैया ठाकुर
2– जगदीश सिंह पुत्र रघुवीर सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम आमोल , तहसील करैरा
जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

G.P. Nayak Adv. 30.12.16

1– म0प्र0शासन व्दारा तहसीलदार करैरा --असल अनावेदक
2– बलवीर सिंह पुत्र जसरथ सिंह
3– बृजभान सिंह पुत्र जशरथ सिंह
4– जबाहर सिंह पुत्र जशरथ सिंह
तीनों जाति ठाकुर निवासी ग्राम
आमोल करैरा तहसील करैरा
जिला शिवपुरी , मध्य प्रदेश
---तरतीवीं अनावेदकगण

(श्रीमान तहसीलदार, करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 11/2016–17 अ–7 में पारित आदेश दिनांक 23–11–16 के विरूद्ध निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959)

कृ0पृ0उ0–2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4399-दो/16 **जिला** - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जी.पी. नायक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>अनुविभागीय अधिकारी करैरा</u>**	